



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 1984/ज्यैष्ठ 30, 1906  
No. 217] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 1984/JYAISTHA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1984

सां० का० नि० 460/म - अधिसूचना प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारम्भ, अधिसूचना प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 की परीक्षापूर्वक, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां० का० नि० 683(म) तारीख 11 नवम्बर, 1982 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) तारीख 11 नवम्बर, 1982 के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के अन्तर्गत तक प्रारम्भ और मूलाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 26 नवम्बर, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त प्रारम्भ और मूलाव पर विचार कर लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त

365 GI/84

(1)

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना तैयारी की गलाहवार बर्ष से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना और प्रसाधन नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिसूचना और प्रसाधन सामग्री (तृतीय संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 अधिसूचना और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की धारा 12 की 'ट' में, खण्ड 2 में, प्रविष्टि 5 के सामने, शर्त (2) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,

“(3) अधिसूचना या लेखक पर अवांछित उचित कारणों से शर्तों के अधीन अंतर में रखी जाएगी।”

टिप्पण — 1-5-1979 तक यथा संशोधित अधिसूचना और प्रसाधन नियम, 1945 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के उस प्रकाशन में अस्तित्व में है, जिसमें अधिसूचना और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियम (पी डी जी एच एस-61) है। तत्पश्चात् उक्त नियमों का भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3(1) में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया है —

1 सां० का० नि० 1241 तारीख 6-10-79

2 सां० का० नि० 1242 तारीख 6-10-79

3. सांकांनि० 1243 तारीख 6-10-79
4. सांकांनि० 1281 तारीख 12-10-79
5. सांकांनि० 430 तारीख 19-4-80
6. सांकांनि० 779 तारीख 26-7-80
7. सांकांनि० 540(अ) तारीख 22-9-80
8. सांकांनि० 680(अ) तारीख 5-12-80
9. सांकांनि० 681(अ) तारीख 5-12-80
10. सांकांनि० 682(अ) तारीख 5-12-80
11. सांकांनि० 27(अ) तारीख 17-1-81
12. सांकांनि० 478(अ) तारीख 6-8-81
13. सांकांनि० 62(अ) तारीख 15-2-82
14. सांकांनि० 462(अ) तारीख 22-6-82
15. सांकांनि० 510(अ) तारीख 26-7-82
16. सांकांनि० 13(अ) तारीख 7-1-83
17. सांकांनि० 318(अ) तारीख, 1-5-84
18. सांकांनि० 331(अ) तारीख, 8-5-84

[सं एन्स०-11014/3/82-डी.एस.एस.ओर पो.एफ.ए.,]

एस०बी० सुब्रामणियन, संयुक्त सचिव ।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1984

G.S.R. 460(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published, as required by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 683 (E), dated the 11th November, 1982, at pages 1-2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th November, 1982, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of ninety days from the date of publication of the draft notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 26th November, 1982.

And whereas the objections or suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics

Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Third Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule K, against entry 5, in the Second column, after condition (2), the following condition shall be inserted, namely :—

“(3) The drugs shall be stored under proper storage conditions as directed on the label”.

Note : The Drugs and Cosmetics Rules, 1945, as amended upto 1-5-1979, is contained in the publication of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) containing the Drugs and Cosmetics Acts and the Rules (PDGHS-61). Subsequently the said rules have been amended by the following notifications published in Part II, section 3(i) of the Gazette of India, namely :—

1. G.S.R. 1241 dated 6-10-79
2. G.S.R. 1242 dated 6-10-79
3. G.S.R. 1243 dated 6-10-79
4. G.S.R. 1281 dated 12-10-79
5. G.S.R. 430 dated 19-4-80
6. G.S.R. 779 dated 26-7-80
7. G.S.R. 540 (E) dated 22-9-80
8. G.S.R. 680 (E) dated 5-12-80
9. G.S.R. 681 (E) dated 5-12-80
10. G.S.R. 682 (E) dated 5-12-80
11. G.S.R. 27 (E) dated 17-1-81
12. G.S.R. 478 (E) dated 6-8-81
13. G.S.R. 62 (E) dated 15-2-82
14. G.S.R. 462 (E) dated 22-6-82
15. G.S.R. 510 (E) dated 26-7-82.
16. G.S.R. 13 (E) dated 7-1-83.
17. G.S.R. 318 (E) dated 1-5-84
18. G.S.R. 331 (E) dated 8-5-84

[No. X-11014/3/82-DMS & PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.